भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

वर्ष 2009-2010 के लिए
अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति/यात्रा अनुदान

निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों से 15 समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों और 4 यात्रा अनुदानों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.सं.	श्रेणी	छात्रवृत्ति की संख्या	यात्रा अनुदान की संख्या
1.	अनुसूचित जनजाति	13	4
2.	आदिम जनजाति समूह	02	

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और इसमें मास्टर पीएचडी और पोस्ट डाक्टोरल स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की ट्यूशन फीस और अनुरक्षण सहित अन्य शैक्षिक व्ययों, यात्रा व्ययों तथा अन्य अनुदान शामिल हैं ।

यात्रा अनुदान के लिए केवल वे अभ्यर्थी पात्र हैं जिनके पास मास्टर या तकनीकी, इंजीनियरी और विज्ञान विषयों में समकक्ष डिग्री हों और विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान या प्रशिक्षण प्राप्त करने (विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों में भाग लेने वालों को छोड़कर) के लिए मैरिट छात्रवृत्ति मिली हो ।

अध्ययन क्षेत्र

(1) बायो-टेक्नोलॉजी/जेनेटिक इंजीनियरी; (2) इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग; (3) नेनो-टेक्नोलॉजी; (4) मेरीन इंजीनियरिंग; (5) पेट्रो-केमिकल इंजीनियरिंग; (6) प्लास्टिक टेक्नोलॉजी; (7) क्राइयोजेनिक इंजीनियरिंग; (8) मेकाट्रोनिक्स; (9) आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित आटोमेशन रोबोटिक्स; (10) लेजर टेक्नोलॉजी; (11) लो-टेम्प्रेचर थर्मल डाइनामिक्स,

(12) ओप्टोमेट्री; (13) आर्ट रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी; (14) डाक और हार्बर इंजीनियरिंग; (15) इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी; (16) डीसेन्ट्रालाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन (सोलर हीट के लिए) सिस्टम एनर्जी स्टोरेज इंजीनियरिंग, एनर्जी कंजरवेशन, एनर्जी एफिशियंट हेबीटेट इंजीनियरिंग सहित कम्पोजिट मेटिरियल इंजीनियरिंग; (17) पैकेजिंग इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी; (18) न्यूक्लीयर इंजीनियरिंग; (19) हजार्ड्स पोस्ट-डिजास्टर कंडीशन्स के अधीन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साफ्टवेयर, साफ्टवेयर क्वालिटी एशोरेंस, नेटवर्किंग/कनेक्टिविटी इंजीनियरिंग, कम्यूनिकेशन सिस्टम, मल्टी-मीडिया कम्यूनिकेशन, (20) इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, (21) कृषि एवं कृषि तकनीकी, (22) कृषि अर्थशास्त्र, (23) वानिकी, (24) पुष्प कृषि एवं लैंडस्केपिंग, (25) खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, (26) वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन (27) बागवानी, (28) प्लांट पैथालॉजी, (29) ऊर्जा अध्ययन, (30) कृषि एवं मशीनरी, (31) पशु चिकित्सा विज्ञान, (32) मृदा व जल प्रबंधन, (33) प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक (34) लघु स्तरीय ग्रामीण तकनीकी, और (35) महासागर एवं वातावरण विज्ञान ।

न्यूनतम योग्यता

(क) **पोस्ट डाक्टोरल के लिए :** संगत स्नातकोत्तर उपाधि में 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड एवं पीएच.डी. । संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुसंधान/शिक्षण/व्यावसायिक अनुभव वांछनीय, अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी ।

(ख) **पीएचडी के लिए :** संगत स्नातकोत्तर उपाधि में 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड । 2 वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव/संबंधित क्षेत्र में विद्या निष्णात (एम.फिल) वांछनीय । अनुभव प्राप्त अभ्यार्थियों को तरजीह दी जाएगी ।

(ग) **मास्टर डिग्री के लिए :** संगत स्नातक उपाधि में 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड । संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव वांछनीय । अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी ।

आयु :

योजना के विज्ञापन मास के प्रथम दिन को 35 वर्ष से कम ।

आय सीमा :

नियुक्त अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय प्रतिमाह 25000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए (ऐसे भत्तों को छोड़कर जिन्हें आयकर प्रयोजन हेतु कुल आय का भाग नहीं माना जाता है) । कर-निर्धारण की एक अद्यतन प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न की जाए ।

पाठ्यक्रम की अवधि :

क)	पोस्ट डाक्टोरल :	$1^1/_2$ वर्ष (1 वर्ष और 6 महीने)
ख)	पीएचडी :	4 वर्ष (चार वर्ष)
ग)	मास्टर डिग्री :	3 वर्ष (तीन वर्ष)

सामान्य शर्तें : एक माता-पिता/अभिभावक का एक ही बच्चा पात्र होगा एवं इस आशय का एक स्व-प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को देना होगा । चुने हुए अभ्यर्थियों को 50,000/- रुपए की कम से कम दो जमानतों सहित या भारत सरकार द्वारा खर्च की गई वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी अधिक हो, के एक बंध-पत्र का निष्पादन करना होगा । योजना के अधीन अभ्यर्थी द्वारा केवल एक बार अवार्ड प्राप्त किया जा सकता है । अवार्डी पर योजना के विनियम लागू होंगे । विदेश में मान्य विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं प्रयास करने होंगे । अन्य ब्यौरे अनुरोध करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं ।

टिप्पणी : आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की साक्ष्यांकित प्रतियाँ लगी होनी चाहिएः (क) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक परीक्षा या अन्य प्रमाण-पत्र; (ख) सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र; (ग) अंक-तालिका सहित सभी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र; (घ) निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण-पत्र ।

यात्रा अनुदान के मामले में

एक विवरण पत्र में अतिरिक्त सूचना : (1) मैरिट छात्रवृत्ति का ब्यौरा और किस प्रकार वह प्राप्त की गई; (2) लैटर आफ दि अवार्ड की साक्ष्यांकित प्रति लगाते हुए अतिरिक्त सूचना दें ।

सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र नियोक्ता के माध्यम से भेजें । अंतिम रूप से चयन हो जाने पर चयनित अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता के साथ अध्ययन छुट्टी, वेतन आदि जैसे सभी प्रशासनिक मामलों को स्वयं निबटाना होगा ।

आवेदन-पत्र संयुक्त निदेशक (शिक्षा), जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 216-एच, डी विंग, शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110115 को भेजें । आवेदन-पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 7.12.2009, शाम 5.30 बजे तक इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए । विज्ञापन तथा आवेदन पत्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध है ।

पासपोर्ट आकार
का फोटो यहाँ
चिपकाएं

आवेदन - प्रपत्र

केवल अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2009-10 के लिए समुद्रपारीय छात्रवृत्ति/यात्रा अनुदान

(आवेदन-पत्र अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में या हिन्दी में स्पष्ट अक्षरों में भरें)

क्र. सं.	विवरण			
1	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	नाम		उपनाम
2	पिता/पति का नाम			
3	जन्म तिथि	दिन	माह	वर्ष
4	आयु	वर्ष	माह	दिन
5	जन्म स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम सहित)			
6	राष्ट्रीयता			
7	धर्म			
8	जाति; उल्लेख करें, यदि अनुसूचित जनजाति या आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) से संबंधित हों (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें)			
9	पिन कोड सहित पता (स्पष्ट अक्षरों में			
	स्थायी पता	पत्राचार के लिए वर्तमान पता		
10	नजदीकी रेलवे स्टेशन			
11	वर्ष 2008-09 के लिए कुल वार्षिक आय : (1) कार्यरत अभ्यर्थी की आय : (2) माता-पिता/संरक्षक की आय :			

12	उत्तीर्ण शैक्षिक/व्यावसायिक परीक्षाओं का विवरण (मैट्रिक अथवा समकक्ष और उसके बाद)

बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों की प्रतिशतता	वर्ग/श्रेणी

13	प्रकाशित शोध पत्रों/पुस्तकों, यदि कोई हैं, का विवरण (कृपया अतिरिक्त प्रति संलग्न करें)	

14	(क) रोजगार का विवरण, यदि कोई हो

कार्यालय/संगठन	नियुक्ति की तारीख	छोड़ने की तारीख	पदनाम	कार्य की प्रकृति	सभी भत्तों सहित मासिक आय

(ख) अन्य कार्य अनुभव, यदि कोई हो	

		नाम	पता	संबंध	संपर्क सं.
15	आपात स्थिति के मामले में अधिसूचित किए जाने वाला, भारत में अन्य कोई अगला संबंधी				

16	क्या आपके किसी संबंधी को यह छात्रवृत्ति दी गई है ? यदि हां, तो उसका नाम, उसके साथ अपने संबंध और छात्रवृत्ति दिए जाने के वर्ष का उल्लेख करें	

		विषय	उप-विषय	शोध का विषय
17	विदेश में प्रस्तावित अध्ययन का विवरण; यदि लागू हो (अधिकतम 500 शब्दों में प्रस्तावित शोध का विवरण तीन प्रतियों में दें)			

18	डिग्री/प्रोग्राम, जिसके लिए छात्रवृत्ति मांगी गई है, एमएससी/पीएचडी/पोस्ट-डाक्टोरल रिसर्च	

19	विदेश के संस्थान	जिसके लिए आवेदन किया है		जहां आप प्रवेश लेना चाहते हैं	
20	यदि आप पहले ही प्रवेश ले चुके हैं, तो विनिर्दिष्ट करें :	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश लेने की संभावित तारीख	प्रवेश के प्रस्ताव की शर्तें, यदि कोई हो, (संगत पत्राचार की प्रतियों के साथ)
21	विदेश में अध्ययन के उपरांत भारत में इसकी संभावनाएं				
22	यदि विगत दो वर्षों में किसी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, तो उसका शीर्षक/परिणाम बताएं:				

यात्रा अनुदान के लिए

क्र. सं.	विवरण	
1	विदेशी स्कॉलरशिप का विवरण	
2	स्कॉलरशिप देने वाले प्राधिकरण का नाम	
3	क्या यह चयन आधारित प्रतिभा स्कॉलरशिप है	
4	यदि स्कॉलरशिप पर्याप्त नहीं है तो विदेश में निर्वाह व्ययों और अन्य खर्चों की आपूर्ति की व्यवस्था का विवरण	
5	संस्था, जहां पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने हैं, तथा जिस पाठ्यक्रम के लिए स्कॉलरशिप दिया जाना है, उसका विवरण	
6	पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि	
7	विदेश में अध्ययन की अवधि	
8	पूरा होने की संभावित तिथि	
9	भारत लौटने की संभावित तिथि	
10	जिस देश में अध्ययन किया जाना है, वहां तक यात्रा के लिए इकोनोमी क्लास हेतु सरकार से मांगी गई सहायता राशि	

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारियाँ मेरे ज्ञान और मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं । मेरे द्वारा दी गई किसी प्रकार की गलत सूचना पर योजना के विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : ....
अभ्यर्थी का नाम : ....
संपर्क संख्या : ....

स्थान : ....
दिनांक : ....

आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जाए)

मैं अपने ज्ञान के अनुसार यह सत्यापित करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में सभी स्रोतों से (1) आवेदक श्री/श्रीमती/कु0 ....निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला .... की औसत मासिक आय .... रुपए थी (2) उनके माता/पिता/पत्नी/पति/अभिभावक श्री/श्रीमती/कु0 .... की आय प्रतिमाह .... रुपए थी । अर्थात् (3) प्रतिमाह (1+2) कुल आय .... रुपए थी । अतः यह भी सत्यापित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कु0(आवेदक)....................................... भारत का नागरिक है ।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)**
पदनाम**/पता
कार्यालय की मोहर

स्थान : ....
दिनांक : ....

नोट

आयकर निर्धारण के अनुसार आवेदक (यदि नियोजित है) एवं उसके माता/पिता/अभिभावक के वेतन, जिसमें छूट योग्य मदों की कटौती के पश्चात अन्य स्रोतों की लेंडिड प्रोपर्टी से आय, यदि कोई हो, को कुल आय की घोषणा करने के हिसाब में लिया जाना है; (कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो आवेदक प्राप्त कर रहा हो, उसकी गणना वेतन में नहीं होगी अतः उसको छोड़ दिया जाए) । वेतनभोगी के मामले में वाहन भत्ता, समयोपरि भत्ता तथा किराया मुक्त आवास आय की गणना में नहीं आएंगे । परंतु प्रतिनियुक्ति भत्ता, अन्य कार्य करने हेतु मानदेय, विशेष वेतन एवं बोनस आदि को आय में शामिल किया जाएगा ।

2. जब तक माता-पिता में से कोई जीवित है, आवेदक की आय सहित जीवित माता-पिता की कुल आय अथवा यदि अभिभावक के द्वारा पालित हो तो उसकी आय को शामिल किया जाएगा तथा आवेदक की आय अभिभावक की आय सहित विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
यदि आवेदक आत्मनिर्भर है या वह परिवार का मुखिया है, तो उसके पति/पत्नी की आय विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
* जो अपेक्षित नहीं है, उसे काट दें ।
** आय प्रमाण-पत्र निम्न में से किसी एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए :-

(1) आवेदक/आवेदक के माता-पिता/अभिभावक, यदि सरकारी सेवा में हैं तो उसके वरिष्ठ अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष;
(2) आवेदक/आवेदक के माता-पिता/अभिभावक यदि प्राइवेट सेवा में हैं तो नियोक्ता;
(3) आवेदक/आवेदक के माता-पिता/अभिभावक प्राइवेट सेवा में अनियमित रूप से नियोजित होने पर सक्षम सरकारी राजपत्रित अधिकारी;
(4) यदि माता-पिता/अभिभावक/आवेदक कृषक या व्यापारी है, तो राजस्व/बिक्री कर विभाग का राजपत्रित अधिकारी (राजस्व अधिकारी तहसीलदार के स्तर से कम न हो)।